

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/प-2/1/4/रातस/तह.कार्यव्यवस्थार्थ/2021-22/4296

दिनांक: 05/03/22

-: आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प.7(3)राज-1/2019 दिनांक 05.03.2022 के क्रम में राजस्व मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4220 दिनांक 05.03.2022 में आंशिक संशोधन कर निम्नांकित भू-अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर वरिष्ठता के आधार पर स्वयं की वेतन श्रृंखला (पालेय वेतन पर) में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर एतद्वारा तुरंत प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	नायब तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	सम्पत सिंह भाटी / किशनसिंह	जीपी कलक्ट्रेट भीलवाड़ा के स्थान पर सनवाड़ उदयपुर	नंदलाल जोशी के स्थान पर
2	झाबरमल / रघुनाथ	खेजरोली जयपुर के स्थान पर बगरु जयपुर में	दीपाराम जाट के स्थान पर
3	दीपाराम जाट / कानाराम	बगरु जयपुर के स्थान पर सांगानेर जयपुर	रिक्त पद
4	प्रभूदयाल / शिवदान मीणा	कलेक्टर कार्यालय जयपुर के स्थान पर खेजरोली जयपुर में	झाबरमल के स्थान पर
5	महेन्द्र कुमार जांगिड़ / मालीराम जांगिड़	तहसील मनोहरपुर जयपुर के स्थान पर एसीएम फास्ट टेक शाहपुरा जयपुर	रिक्त पद
6	रामदेव खेरडिया / गेंदीलाल	तालेड़ा बूंदी के स्थान पर दबलाना बूंदी	रिक्त पद
7	बाबूलाल मीणा / श्रीनारायण	कुण्डल जिला दौसा	रिक्त पद
8	धर्मसिंह मीणा / नाथूलाल	लवाण जिला दौसा	रिक्त पद
9	मूल चन्द उज्ज्वल / घीसालाल	एसडीएम कार्यालय मकराना के स्थान पर उप तहसील छोटी खाटू डीडवाना जिला नागौर	-
10	नागरमल / जेसाराम	लीव रिजर्व नागौर के स्थान पर मौलासर रिक्त पद पर	रिक्त पद
11	सत्यनारायण	डीडवाना के स्थान पर उप तहसील नागोला अजमेर	रिक्त पद
12	तनसिंह	स्थानान्तरणाधीन फलसूड़ जिला जैसलमेर के स्थान पर उपखण्ड कार्यालय जिला जिला जैसलमेर	रिक्त पद
13	सुरेश चन्द	एसडीएम कार्यालय बस्सी के स्थान पर तहसील बस्सी जिला जयपुर में	रिक्त पद
14	चन्द्रकांत	नायब तहसीलदार बयाना के स्थान पर लीव रिजर्व भरतपुर	रिक्त पद
15	शंकरलाल रेगर	हमीरगढ़ के स्थान पर बागौर जिला भीलवाड़ा	रिक्त पद
16	गिराज मीणा	नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ अलवर के स्थान पर नौगांवा अलवर	रिक्त पद
17	ओम प्रकाश वर्मा	नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के स्थान पर गुढागौड़जी जिला झुंझुनू में	बलवान सिंह के स्थान पर
18	बलवान सिंह	नायब तहसीलदार गुढागौड़जी से उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू में	ओम प्रकाश शर्मा के स्थान पर
19	कैलाश नारायण मीणा	एसीएम फास्ट टेक जमवारामगढ़ के स्थान पर तहसील जमवारामगढ़	रिक्त पद


क्र.सं. 10 पर अंकित श्री मूल चन्द उज्ज्वल का नायब तहसीलदार छोटी खाटू जिला नागौर के पद पदस्थापन वर्तमान में नायब तहसीलदार छोटीखाटू जिला नागौर के पद पर कार्यरत श्री सहदेव के कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार पद पर अन्यत्र पदस्थापन होकर कार्यमुक्त होने के पश्चात् प्रभावी होगा।

नोट:- उक्त अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। कोई कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के गृह तहसील में पदस्थापित हो जाने पर सम्बंधित जिला कलेक्टर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए तुरंत इसकी सूचना मय पुष्टियर्थ दस्तावेज के राजस्व मण्डल को दें।

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तों के अध्यक्षीन रहेगा :-

- 1- स्क्रीनिंग समिति द्वारा उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों के केवल कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा और इसके आधार पर कोई भी भू-अभिलेख निरीक्षक किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा/मांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष करेगा।
- 2- कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही भू-अभिलेख निरीक्षक इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा /मांग करेगा।
- 3- यह केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई भू-अभिलेख निरीक्षक उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।
- 4- उक्त भू-अभिलेख निरीक्षक मूल रूप से भू-अभिलेख निरीक्षक ही बने रहेंगे तथा भू-अभिलेख निरीक्षक को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और न ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय/अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।
- 5- कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन के उक्त आदेश को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और भू-अभिलेख निरीक्षक को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भू-अभिलेख निरीक्षक इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय/अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

आदेशानुसार,


(भंवर सिंह सान्दू)
निबन्धक,


राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांक: सम/4297-60

दिनांक: 05/03/22

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर ।
- 3- विशिष्ट सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर ।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 4- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 5- आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
- 6- संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान ।
- 7- जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान ।
- 8- प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/प्रशासन/कंप्यूटर्स) राजस्व मण्डल राज., अजमेर ।
- 9-
- 10- सम्बंधित
- 11- आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली ।


निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज., अजमेर